जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनॉक 14.11.2023

आज दिनांक 14.11.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3313 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3313 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत सजौली से इवेन्ट संख्या 14818 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 03 व्यक्तियों (**1- मायाराम पुत्र बुद्धिराम, 2- आकाश पुत्र मायाराम, 3-राजू पुत्र मायाराम निवासीगण सजौली थाना बखिरा**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवादम में घायल व्यक्तियों को एंबुलेंश की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –आ0 कन्हैयालाल, हो0चा0 सुखई प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनों से 46,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 14.11.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 46,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।